न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–04/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मूलचन्द पुत्र मोती जाति माली नि0 ग्राम बीना पट्टी, रतना का बास तह0 राजगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. रामलाल पुत्र प्रभूदयाल जाति महाजन नि0 गोला का बास।
2. रामवतार पुत्र प्रभूदयाल जाति महाजन नि0 गोला का बास।(मृतक)
   - 2/1 अशोक पुत्र रामवतार (मृतक)
   - 2/1/1 राहुल उर्फ डालचन्द पुत्र अशोक।
   - 2/1/2 जसवन्त उर्फ कालू पुत्र अशोक।
   - 2/1/3 विजय गुप्ता पुत्र अशोक।
   - 2/1/4 रेखा पुत्री अशोक।
   - 2/1/5 मंजू बेवा अशोक जातियान महाजन निवासीयान ग्राम गोला का बास तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।
   - 2/2. गणेश पुत्र रामवतार।
   - 2/3 शीला पुत्री रामवतार।
3. जगदीश पुत्र प्रभूदयाल जाति महाजन नि0 गोला का बास तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।

..... असल रेस्पो0

4. सोहन पुत्र मोती जाति माली नि0 बीना पट्टी, रतना का बास तह0 राजगढ जिला अलवर राज0।

..... तर0रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री धर्मेन्द्र कुमार जैसावत, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–22.11.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–04/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मूलचन्द पुत्र मोती जाति माली नि0 ग्राम बीना पट्टी, रतना का बास तह0 राजगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. रामलाल पुत्र प्रभूदयाल जाति महाजन नि0 गोला का बास।
2. रामवतार पुत्र प्रभूदयाल जाति महाजन नि0 गोला का बास।
3. जगदीश पुत्र प्रभूदयाल जाति महाजन नि0 गोला का बास तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।

..... असल रेस्पो0

4. सोहन पुत्र मोती जाति माली नि0 बीना पट्टी, रतना का बास तह0 राजगढ जिला अलवर राज0।

..... तर0रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री धर्मेन्द्र कुमार जैसावत, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–22.11.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.12.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 10/0.28, 23/0.03, 77/0.05, 78/0.08, 79/0.02 वाके ग्राम बीना पट्टी तहसील राजगढ में स्थित है। जिनका खातेदार काश्तकार वादीगण का पिता मोती माली था जिसका देहान्त हो चुका है और उसके वारिस काबिज जायदाद अपीलांट हैं वो काश्त करते हैं। आबपानी चाह नं. 74 व 24 से होती है व रिहायश कर रखी है एवं पाटोल डाल रखी है जिसमें पशु बंधते हैं। वादीगण के पास अन्य भूमि नही है और लम्बे कब्जे के आधार पर भी कब्जा मुखालफाना के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

कानूनन खातेदार हो गये हैं। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा पेश कर इसे नकारते हुये कहा कि हमारा कब्जा है व खातेदार हैं मगर दौराने दावा बीच में काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादीगण से दखल दिलाया जावे जिस पर वादीगण, अपीलांट का वाद खारिज कर दिया व काउण्टर क्लेम मंजूर कर लिया । जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 03.12.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत न्यायालय में दावा खारिज कर दिया जबकि एडवर्स पजेसन के आधार पर वादीगण खातेदार काश्तकार कानूनन साबित थे। कमिश्नर रिपोर्ट से भी कब्जा साबित था। अपीलांट वादीगण का वाद 1992 का था उस समय वादीगण ने अपने वाद पत्र में कब्जा होना व रिहायश व पाटोल के बारे में लिखा था मगर उसके बारे में प्रतिवादी ने स्पेशिक डिनाई नही किया जो एक एडमीशन की तारीफ में आता है। दौराने दावा संशोधन के माध्यम से काउण्टर क्लेम लेकर जो स्वीकार किया है उससे पूरे दावे की नेचर ही बदल दी जिससे वादीगण का केस प्रिज्यूडिश हुआ है। तहत अदालत द्वारा प्रत्येक तनकीयात का फैसला नही किया केवल तनकी नंबर 3 को आधार मानकर फैसला कर दिया जो कानूनन गलत है।दौराने दावा आदेश 26 नियम 09 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट तलब की जिसमें कब्जा व रिहायश वादीगण की मानी जिससे वादीगण का कब्जा पूरी तरह साबित था। तहत अदालत द्वारा रिकॉर्ड व पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य से अलग हटकर काउण्टर क्लेम मंजूर किया गया। काउण्टर क्लेम में केवल यह लिख दिया कि सितम्बर 2001 में वादीगण द्वारा कब्जा कर लिया जबकि कोई तारीख–वार नही बताया जबकि वादीगण का कब्जा शुरू से लेकर आज तक चला आ रहा है। कानूनन कोई कृषि भूमि रहन भी रखी जाती है तो वह स्वतः ही एक निश्चित समय में रहन फक कानूनन हो जाती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया और तहत न्यायालय का आदेश निरस्त करने की इस्तदुआ की । इस संदर्भ में आर.एल.डबल्यू 2019(1) पेज 581 राज0 हाईकोर्ट, आर.एल.डबल्यू 2009 (4) पेज 3579 एस.सी दृष्टांत पेश किये।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 का बहस में कथन है कि अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में यह नही बताया कि किस विधि के तहत अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अपीलांट के बुजुर्गों ने रेस्पो0 के बुजुर्गों से कर्ज लिया था। कर्जदारी नही चुका पाने के कारण रेस्पो0 द्वारा सिविल न्यायालय राजगढ में स्पेशिक परफोर्मेन्स का दावा दायर किया गया जिसका तारीख फैसला दिनांक 16.05.1970 तथा अनुवानी प्रभूदयाल बनाम मोती जो इन्ही आराजीयात बाबत था जो कि रेस्पो0 के पक्ष में निर्णीत हुआ। सिविल कोर्ट राजगढ द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में बयनामा पंजीयन करवाया एवं पाबंद भी किया कि रेस्पो0 के कब्जेकाश्त में मजाहमत नही करे। दिनांक 15.05.1978 की घटना बही के जरिये भी कब्जा रेस्पो0 को दिया गया। वाद के दौरान भी प्रार्थना पत्र रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये। आदेश 06 नियम 17 के विरूद्ध भी रेवेन्यू बोर्ड नही गये न ही सिविल न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

के फैसले की अपील की। फैसला तनकीवार किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2015 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा आदेश 08 नियम 05 के संदर्भ में ये कथन किया है कि जबाव दावे में कब्जे का विशिष्ट प्राख्यापन नही है। परन्तु वाद के प्रदर्श Ex A-3 से रेस्पो0 का कब्जा साबित है एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट 02.06.2005 से भी कब्जा साबित है।

आदेश 06 नियम 17 प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दि0 12.11.05 को स्वीकार किया जाकर अनुमति दी गई।वादी द्वारा उस समय इसकी माननीय राजस्व मंडल में अपील करनी चाहिये थी। अब अपील में इसका उज्र नही ले सकते। आदेश 06 नियम 17 के बाद काउण्टर क्लेम व जवाब उल जबाव के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा निम्न दो तनकीयात कायम की गई।

(1) तनकी नं. 3– आया वादीगण विवादित आराजीयात पर दौराने दावा जबरन कब्जा कर लिया, प्रतिवादी उसे बेदखल कर कब्जा करने का अधिकारी है।

(2) तनकी नं. 4– आया वादीगण एडवर्स पजेसन के आधार पर खातेदार काश्तकार है।

इस प्रकार विद्वान तहत अदालत द्वारा विधिपूर्वक आदेश 14 नियम 01 की पालना कर आदेश 20 नियम 05 की सही पालना की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 63 (1)(iv)में इस प्रकार का कोई उल्लेख नही है। रेस्पो0 द्वारा अपने प्रतिवाद में काउण्टर क्लेम द्वारा बेदखली का दावा किया है उसकी विद्वान तहत अदालत ने प्रतिवादी द्वारा प्रदर्श Ex A-3 बिन्दु 01 लगा0 34 का बखूबी अवलोकन कर निर्णय पारित किया है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय किया है वह विधि के प्रावधानों की पालना करते हुये, विधिपूर्वक, साम्यपूर्ण तरीके से किया है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का निर्णय व डिक्री दि0 03.12.2015 यथावत रखा जाता है

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.11.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

नोट: इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दि० 22.11.19 के क्रम में नि० के प्रथम पृष्ठ पर अंकित रेस्पो० सं० 2 रामवतार एवं रेस्पो० संख्या 2/1 अशोक के स्थान पर इनके वारिसान के नाम संशोधित उनवान के साथ पढ़े जावें जो कि पृष्ठ संख्या 1 (अ) हो जावेगा । संशोधित उनवान सहित जारी निर्णय के कुल पृष्ठ 4 हैं।

22.11.19

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)